उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-37/2017/1658/37-1-2017-3(29)/2009टी0सी0

लखनऊ: दिनॉक: 04 अगस्त, 2017

कार्यालय-आदेश

डा0 हेमलता शर्मा, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, मुख्यालय झांसी सम्प्रति पशुचिकित्साधिकारी, भेड़ मुख्यालय झांसी के विरूद्व वर्ष 2006 में झांसी मण्डल में पशुधन प्रसार अधिकारियों के विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन/भर्ती के लिये चयन मण्डल के सदस्य के रूप में 25 पदों के सापेक्ष 27 पदों पर चयन की संस्तुति करने आदि आरोपों के लिये शासन के कार्यालय आदेश संख्या-265/37-1-2010-3(29)/2009 दिनांक 20 जनवरी, 2010 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये निदेशक, पशुपालन विभाग को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- डा0 हेमलता शर्मा के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या-640/स्था0-3/53डी (603), दिनांक 29.06.2011 द्वारा प्राप्त हुयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरांत डा0 हेमलता शर्मा के विरूद्व कोई आरोप सिद्व नहीं पाया गया है, अत: एतदद्वारा श्री राज्यपाल डा0 हेमलता शर्मा, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, मुख्यालय झांसी सम्प्रति पशुचिकित्साधिकारी, भेड़ मुख्यालय झांसी के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव

संख्या-37/2017/1658(1)/37-1-2017, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

3- संबंधित अधिकारी, द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in